



दिनांक 28.08.2023

प्रेस विज्ञप्ति 30 / 2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय-समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।

➤ जनपद जालौन/थाना आटा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 55 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा थाना आटा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/376(3)/511/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रंजीत को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद अलीगढ़/थाना दादों (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे-प्रथम जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना दादों पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त वीरप्रकाश को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद कौशाम्बी/थाना कौशाम्बी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे-कोर्ट सं0-01 जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना कौशाम्बी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजमुन को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 35 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)कोर्ट सं0-44 बाराबंकी द्वारा थाना सतरिख पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 एबी/506 भादवि व 5(ड)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अमित वर्मा को 20 वर्ष कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद मथुरा/थाना बरसाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो जनपद मथुरा द्वारा थाना बरसाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376/323 भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त वीरपाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद मथुरा/थाना राया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे द्वितीय जनपद मथुरा द्वारा थाना राया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नीरज कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद बहराइच/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एसजे/पॉक्सो जनपद बहराइच द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 9(एम)/10 व 11/12 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अजय कुमार को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

जनपद सीतापुर/थाना कमलापुर

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

- 09 हजार 200 रुपये नगद

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक:28.08.2023 को थाना कमलापुर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम रायपुर गोम नदी पुल के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त लालता प्रसाद उर्फ लल्ला घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 09 हजार 200 रुपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कमलापुर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कमलापुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लालता प्रसाद उर्फ लल्ला निवासी ग्राम कठवारा थाना बख्शी का तालाब लखनऊ।

बरामदगी

1—09 हजार 200 रुपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

~ 5 ~
जनपद भदोही/थाना भदोही

● 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

● 01 पिस्टल, 02 मैगजीन, 11 कारतूस बरामद

दिनांक: 28.08.2023 को थाना भदोही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरौधा टोल टैक्स प्लाजा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विनय कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 पिस्टल, 02 मैगजीन, 11 कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना भदोही पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भदोही द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विनय कुमार निवासी लीलाधर थाना औराई जनपद भदोही।

बरामदगी

1—01 पिस्टल, 02 मैगजीन, 11 कारतूस।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना रावतपुर

● 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक: 28.08.2023 को थाना रावतपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मसवानपुर चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आकाश सविता उर्फ दीपक को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कल्याणपुर पर पंजीकृत अभियोग धारा 392/411 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर लूट के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रावतपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आकाश सविता उर्फ दीपक निवासी अम्बेडकर पुरम आवास विकास—3 थाना कल्यानपुर, कानपुरनगर।

जनपद गौतमबुद्धनगर/थाना बिसरख

- पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- लूटे गये 04 सोने की चैन

- 01 मोटर साइकिल

- 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 28.08.2023 को थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सर्विस रोड ग्रांड ई कन्स्ट्रक्सन के सामने चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—शहबाज उर्फ पोली 2—राहुल उर्फ बन्टी घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 04 सोने की चैन, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शहबाज उर्फ पोली के विरुद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी आदि के 26 अभियोग, अभियुक्त राहुल उर्फ बन्टी के विरुद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 72 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बिसरख पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—लूटे गये 04 सोने की चैन।
- 2—01 मोटर साइकिल।
- 3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

बरामदगी

- 1—लूटे गये 04 सोने चैन।
- 2—01 मोटर साइकिल।
- 3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद अमेठी/थाना जामो

● 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 08 लाख रुपये कीमत की चोरी के 134 कुन्तल सरिया

- चोरी की सरिया ब्रिकी के 01 लाख 64 हजार रुपये नगद बरामद

दिनांक: 27/28.08.2023 को थाना जामो पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर 04 अभियुक्तों 1—शिवम उर्फ मोनू 2—शिव विवेक 3—कैलाश नाथ उर्फ अनुज 4—सतीश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 08 लाख रुपये कीमत की चोरी के 134 कुन्तल सरिया, चोरी की सरिया ब्रिकी के 01 लाख 64 हजार रुपये नगद बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना जामो पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—शिवम उर्फ मोनू निवासी अमर बोझा थाना जामो जनपद अमेठी।
- 2—शिव विवेक निवासी बरौलिया थाना जामो जनपद अमेठी।
- 3—कैलाश नाथ उर्फ अनुज निवासी ग्राम उतेलवा रोड नं0-4 थाना कमरौली जनपद अमेठी।

4—सतीश निवासी ग्राम अतरा थाना जामो जनपद अमेठी।

बरामदगी

1—लगभग 08 लाख रुपये कीमत की चोरी के 134 कुन्तल सरिया।

2—चोरी की सरिया ब्रिकी के 01 लाख 64 हजार रुपये नगद।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना लोनी

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 15 लाख रुपये कीमत के 30 किलो 620 ग्राम अवैध गांजा बरामद

दिनांक: 27.08.2023 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निठौरा रोड पर चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—आबिद 2—नौशाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख रुपये कीमत के 30 किलो 620 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आबिद निवासी गुराना रोड गली नं0—8 विजय नगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

2—नौशाद निवासी अशोक बिहार कस्बा व थाना लोनी, गाजियाबाद।

बरादमगी

1—लगभग 15 लाख रुपये कीमत के 30 किलो 620 ग्राम अवैध गांजा।

—————